पुलिस अधीक्षकों को थानों में डिकॉय ऑपेरशन करने के निर्देश

जयपुर 11 जनवरी। प्रदेश के पुलिस थानों पर आने वाले परिवादीगण के साथ उचित व्यवहार व एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनके द्वारा दिये गये परिवाद पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा 5 जनवरी को किये गये डिकॉय ऑपरेशन की तर्ज पर सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में माह में कम से कम एक बार डिकॉय ऑपेरशन करने के निर्देश दिये गये है।

महानिदेशक पुलिस श्री कपिल गर्ग के निर्देश पर मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा 7 थानों में डिकॉय ऑपरेशन कर परिवादीगण के साथ संवेदनशीलता से अच्छा व्यवहार करने के साथ ही थानों पर प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही के बारे में परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में 7 में से 6 थानों में परिवादियों के साथ उचित व्यवहार पाया गया था लेकिन 5 थानों में वाहन चोरी की एफआईआर दर्ज करने में उदासीनता पायी गयी थी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता श्री गोविन्द गुप्ता ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सभी रेंज महानिरीक्षकगण, पुलिस आयुक्तगण तथा जिला पुलिस अधीक्षकों व पुलिस उपायुक्तों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से डिकॉय ऑपरेशन कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अभियोग पंजीबद्ध करना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण, नाकाबन्दी, मौकानिरीक्षण आदि कार्यवाहियां तुरन्त करने के भी निर्देश दिये गये है।

श्री गुप्ता ने बताया कि वाहन चोरी की ई–एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के निर्देश दिये गये है। साथ ही पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों के साथ उचित व्यवहार के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि थानों पर एफआईआर दर्ज नहीं करने, नाकाबन्दी, गश्ती दल द्वारा वाहनों से अवैध वसूली आदि सूचनाओं का सत्यापन करने के लिए डिकॉय ऑपरेशन कराने के निर्देश जारी किये गये है।

पारीक/सन्तरा/6/2019

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।